न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 173/2022

उनवान

1. रुघुनाथ पुत्र भैरू,
2. जमनी पत्नि मांगू,
3. गोपाल,
4. मानसिंह,
5. दयाल पुत्र मांगू समस्त जातिगण रावत निवासी अंसरी तहसील नसीराबाद

—— वादीगण :— जरिये अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. किशन पुत्र उगमा,
2. गंगा पत्नि उगमा,
3. बलदेव पुत्र उगमा,
4. बाबू,
5. शैतान पुत्र मादू समस्त जातिगण रावत निवासी अंसरी तहसील नसीराबाद,
6. मैनेजर यूनियन बैंक आफ इंडिया शाखा लीडी जिला अजमेर,
7. उपपंजीयक अधिकारी तहसीलदार नसीराबाद,
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :— 1 से 6 अनुपस्थित
7 व 8 जरिये तहसीलदार नसीराबाद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 रा0 का0 अधि0 1955 सपटित धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :— दिनांक :— 29/5/24

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम अंसरी के चौसाला खसरा नम्बर 521 रकबा 1—5—0 के वर्किंग खसरा नम्बर 626 रकबा 0—5—0, 627 रकबा 1—0—0 के हाल खसरा नम्बर 691 रकबा 0.04, 692 रकबा 0.16 की आराजी व अन्य भूमि जरियें पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 26.12.1975 को वादी संख्या 1 रूघनाथ व वादी संख्या 2 से 5 कें पति/पिता मांगू ने तत्कालीन खातेदार मादू व उगमा पि0 भिया से क्रय कर कब्जा व दखल प्राप्त कर लिया था। उक्त आराजी विक्रय पत्र के आधार पर वादीगण के नाम दर्ज करने के बजाय हाल खसरा नम्बर 691 को त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम व हाल खसरा नम्बर 692 को सिवायचक दर्ज कर दिया गया। जिस कारण प्रतिवादीगण उक्त आराजी वादी के कब्जे काश्त पर दखलदांजी कर रहे है। व भूमि को अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः वादग्रस्त आराजी का खातेदार वादी को घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज0 पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख व विक्रय पत्र प्रस्तुत किये। व साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्धान अधिवक्ता वादी व राज0 पैराकार की बहस पर मनन किया गया। वादी ने कथन किया है कि उनके द्वारा चौसाला खसरा नम्बर 521 रकबा 1-5-0 कय किया है। किन्तु विकय पत्र अनुसार ग्राम अंसरी के चौसाला खसरा नम्बर 521 रकबा 0-8-6 भूमि जरियें पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 26.12.1975 को वादी संख्या 1 रूघनाथ व वादी संख्या 2 से 5 कें पति/पिता मांगू ने तत्कालीन खातेदार मादू व उगमा पि0 भिया से कय की है। चौसाला खसरा नम्बर 521 रकबा 1-5-0 चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2025 से 28 में सिवायचक दर्ज था। तथा उसके वंर्किग खसरा नम्बर 626 रकबा 0-5-0, 627 रकबा 1-0-0 में से वंर्किग खसरा नम्बर 627 सिवायचक है तथा वंर्किग खसरा नम्बर 626 रकबा 0-5-0 वंर्किग जमाबंदी के खाता संख्या 119 में विकेता उगमा पुत्र भीया के नाम गैर खातेदारी दर्ज है। जिस पर नामान्तकरण संख्या 10 दिनांक 20.5.95 से खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये है। वादीगण का विकय पत्र 26.12.75 का है। हाल खसरा नम्बर 692 सिवायचक है। तथा हाल खसरा नम्बर 691 रकबा 0.04 प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम खातेदारी दर्ज है एवं प्रतिवादी संख्या 6 के नाम रहन दर्ज है। वादीगण ने 1-5-0 भूमि कय नही की है। साथ ही विकेता के नाम पूर्व व हाल राजस्व अभिलेख में 0.04 भूमि ही है। उक्त भूमि का विकय पत्र पंजीकृत है जिसकी सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। वंर्किग खसरा नम्बर 626 पूर्व में गैर खातेदारी था तथा भू संशोधन से अवशेष प्रकरणों के निस्तारण हेतु विहित प्रावधान अनुसार उक्त आराजी में बाद में खातेदारी अधिकार दिये गये। आराजी मुतनाजा के हाल खसरा नम्बर 691 रकबा 0.04 विकय पत्र की दिनांक 26.12.75 है। वंर्किग जमाबंदी अनुसार विकय दिनांक को उक्त आराजी विकेता की गैर खातेदारी में थी। किन्तु विकय के बाद विकेता को खातेदारी अधि्कार प्रापत हो गये है। आज दिनांक को उक्त आराजी विकेता के वारिस के नाम खातेदारी दर्ज है। विकेतागण ने उक्त आराजी प्रतिफल राशि प्राप्त कर विकय की है। सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 43 के अनुसार "**जहां कि कोई व्यक्ति कपटपूर्वक या, भूलवश यह व्यपदेश करता है कि वह अमुक स्थावर सम्पत्ति को अन्तरित करने के लिए प्राधिकृत है और ऐसी सम्पत्ति को प्रतिफलार्थ अन्तरित करने की प्रव्यंजना करता है वहां ऐसा अन्तरण अन्तरिती के विकल्प पर किसी भी उस हित पर प्रवृत्त होगा जिसे अन्तरक ऐसी सम्पत्ति में उतने समय के दौरान कभी भी अर्जित करे जितने समय तक उस अन्तरण की संविदा अस्तित्व में रहती है।** इस प्रकार स्पष्ट है कि आराजी मुतनाजा पर विकेता को बाद में खातेदारी प्राप्त होने से उसके द्वारा किया गया विकय वैध है। तथा वादी वर्तमान त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को दुरूस्त करने का अधिकारी है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 के अनुसार भी विकेता के खातेदारी अधिकारों का अवसान हो चुका है। राज्य सरकार द्वारा भू संशोधन जमाबंदी की मान्यता समाप्त कर दी गयी। भू आवंटन नियम 1970 के नियम 20 के अन्तर्गत (जो अजमेर जिले के भू संशोधन से अवशेष प्रकरणों के निस्तारण के लिये जोडी गयी) वंर्किग जमाबंदी में उक्त आराजी पुनः भू संशोधन के खातेदार के नाम आवंटित की गयी। जिसकी राजस्व अभिलेख में नियमानुसार पालना की गयी। तथा खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। किन्तु मादू व उगमा पि0 भिया द्वारा उक्त आराजी का बैचान पूर्व में ही किया जा चुका है। राज0

—3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

पैरोकार द्वारा वाद का खण्डन नही किया गया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख व विक्रय पत्र से वाद के कथनों की ताईद होती है। खसरा नम्बर 691 प्रतिवादी संख्या 6 के पक्ष में रहन दर्ज है। किन्तु वादीगण द्वारा पूर्व में ही भूमि का क्रय करने के कारण व मक्जा वादीगण का होने के कारण उक्त भूमि पर ऋण वादीगण के हितों पर अप्राभावी है। वादीगण केवल खसरा नम्बर 691 पर खातेदारी अधिकार प्राप्त कने के अधिकारी है। खसरा नम्बर 692 रकबा 0.16 साबिक वहाल राजस्व अभिलेख में भी सिवायचक होने के कारण वादीगण उक्त खसरा नम्बर पर खातेदारी प्रापत करने के अधिकारी नही है।

उक्तानुसार ग्राम अन्सरी के हाल खसरा नम्बर 691 रकबा 0.04 की आराजी पर वादीगण का वाद **"आंशिक स्वीकार"** किया जाता है। उक्त आराजी पर वादीगण को सम्पूर्ण हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

डिकी व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

रघुनाथ बनाम किशन

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राज0 अधि0 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 173 / 2022
पेश करने की दिनांक – 16.12.22

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुददई अभिभाषक राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि :–

ग्राम अन्सरी के हाल खसरा नम्बर 691 रकबा 0.04 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। उक्त आराजी पर वादीगण को सम्पूर्ण हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक—— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 29 माह 5 सन् 2024 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद